चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द

Chaudhary Ranbir Singh University, Jind

(Established by the State Legislature Act 28 of 2014)
(Recognized Under Section 12(b) & 2(f) of UCG Act, 1956)

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Ref. No. CRSU/Exam/Result/2022/..1606........ **Dated: -.07/09/2022**

To

The System Analyst
CRSU, Jind.

Sub: Request to upload the advertisement along with terms & conditions regarding open auction of answer-sheets/loose papers.

Sir,

Please find enclosed herewith a copy of advertisement along with terms & conditions regarding open auction of answer-sheets/loose papers lying in the examination branch for uploading the same on the University website.

Encls: As stated above.

7.9.2022

Controller of Examinations

चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द

खुली नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के कुछ रद्दी सामान जैसे – उत्तर पुस्तिकाएँ एवं कागज इत्यादि की खुली बोली दिनांक 20.09.2022 को सुबह 11:00 बजे विश्वविद्यालय के प्रांगण में की जाएगी। नीलामी के नियम व शर्ते विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.crsu.ac.in पर देखी जा सकती है।

कुलसचिव

Kuldeep

नीलामी के नियम व शर्ते

1. नीलामी जैसा सामान है, जहां है के आधार पर होगी
2. नीलामी में भाग लेने हेतु बोली दाता को दस हजार रूपए मात्र धरोहर राशि के रूप में बोली आरंभ होने से पहले नगद जमा करवानी होगी। यह राशि बोली समाप्त होने पर असफल बोली दाताओं को उसी समय वापिस कर दी जायेगी।
3. सबसे उच्च बोली लगाने वाली फर्म/व्यक्ति के नाम नीलामी छोड़ी जायेगी तथा सफल बोली दाता को तीन दिन के अन्दर नीलामी की पूरी धनराशि जमा करवाकर सम्पूर्ण सामान उठाना होगा।
4. यदि बोलीदाता निर्धारित अवधि के अन्दर नीलामी की सामग्री का उठान नही करता तो उसकी अग्रिम धरोहर/सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी तथा नीलामी निरस्त कर दी जायेगी व बोली दाता के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
5. बोली किए जाने वाले सामान का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस पर 10:00 बजे से 4:00 बजे तक किया जा सकता है।
6. केवल उन्हीं व्यक्तियों के बोली में शामिल किया जायेगा जिनके पास प्रमाणित फोटोयुक्त पहचान–पत्र (जैसे–पैनकार्ड, ड्राईविंग लाईसैन्स) आदि होगा।
7. किसी भी प्रकार का टैक्स खर्च या उठान खर्च सफल बोलीदाता को स्वयं वहन करना होगा।
8. सामान की नीलामी वास्तविक वजन के आधार पर धर्म कांटा/वजनी मशीन के आधार पर होगी। इस पर होने वाले खर्च का वहन सफल बोलीदाता को करना होगा।
9. बोलीदाता अपनी जिम्मेदारियों पर खरा नही उतरता है, तो उसे हमेशा के लिये काली सूची में डाल दिया जायेगा।
10. नीलामी की कोई अन्य शर्त होगी तो उसे बोली स्थल पर ही सुनाया/बताया जायेगा।
11. कुलपति को किसी भी नीलामी को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार होगा।
12. सभी प्रकार के विवादों का निपटान का क्षेत्राधिकार विश्वविद्यालय का होगा।
13. यदि किसी कारण वश नीलामी के दिन अवकाश घोषित हो जाता है तो नीलामी अगले दिन होगी।
14. बिना कारण बताए बोली रद्द करने का एकाधिकार विश्वविद्यालय के पास होगा।

कुलसचिव

सम्पर्क सूत्र – 01681–241003